FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपतसिंह वनाम् भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमाः— विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बरः— 4 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
.02.2018	प्रार्थी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर विविध प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढ़ी का पेश किया। विविध प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 16.02.2018 को पेश हो। Gm-	
16.02.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की नोटिस तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील प्रार्थी साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की जाकर बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155, 366, 367, 392, 424 से 426, 448, 576, 577, 726 कुल किता 11 कुल रकबा 9.29 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 424, 425, 426 की पश्चिमी तरफ भूमि खसरा नम्बर 445, 446 के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी की भूमि का तल उंचा है। पश्चिमी तरफ की उक्त भूमि का तल नीचा है। मौके पर कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है। उक्त भूमि का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2002 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी Gm	

Scanned by CamScanner

नरपतसिंह बनाम भूमिधारी तह० श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु० न० - 04/2018	नम्बर व... जो इस... में जारी...

हल्का खिरोटी द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्राथी अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2077–77, नजरी नक्शा प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का खिरोटी द्वारा दिनांक 30.05.2002 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस का नियमानुसार आंकलन कर राशि जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का खिरोटी द्वारा दिनांक 30.05.2002 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक भौतिक मौका स्थिति को बिना परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। यदि आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर ली जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 16.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner